भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 292

12 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

पार्किंग अवसंरचना की कमी

†*292. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने यह आकलन किया है कि मेट्रो शहरों और प्रमुख शहरी केंद्रों में वाहनों की तेजी से बढ़ती संख्या के कारण पार्किंग अवसंरचना की कमी होती जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महानगरों में बहुमंजिला या स्वचालित पार्किंग सुविधाओं के विकास के लिए कोई राष्ट्रव्यापी नीतिगत ढांचा मौजूद है, यदि हां, तो ऐसी पहलों के अंतर्गत सम्मिलित किए गए शहरों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान देश भर में निर्मित, निर्माणाधीन और निर्माण हेतु प्रस्तावित मल्टी-लेवल पार्किंग परियोजनाओं की शहर-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने वैज्ञानिक तरीके से शहरी पार्किंग प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों को एकसमान दिशानिर्देश जारी किए हैं, यदि हां, तो उनके कार्यान्वयन की स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सड़क किनारे भीड़भाड़ को कम करने के लिए बहुमंजिला पार्किंग सुविधाओं को मेट्रो रेल स्टेशनों, बस टर्मिनलों और वाणिज्यिक केंद्रों के साथ एकीकृत किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"पार्किंग अवसंरचना की कमी" के संबंध में दिनाँक 12 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 292 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन, जिसमें पार्किंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और पार्किंग प्रबंधन शामिल है, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। आर्थिक स्थिति, आवास के प्रकार और वाणिज्यिक गतिविधि जैसे स्थानीय कारकों के आधार पर पार्किंग की मांग भिन्न होती है; इसलिए, एकसमान राष्ट्रीय मानदंड अनिवार्य नहीं किए गए हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अपने-अपने भवन उपनियमों में पार्किंग संबंधी आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। भारत सरकार ने शहरी परिवहन नियोजन, पार्किंग प्रबंधन और पारगमन एकीकरण में सुधार के लिए समय-समय पर नीतिगत फ्रेमवर्क, परामर्शिकाएँ और आदर्श दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनमें इंडियन रोड्स कांग्रेस (आईआरसी) - शहरी क्षेत्रों में पार्किंग सुविधाओं के लिए दिशानिर्देश, 2015; राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2006; शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश 2014; आदर्श भवन उपनियम (एमबीबीएल), 2016; मेट्रो रेल नीति, 2017; और राष्ट्रीय पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी) नीति, 2017 शामिल हैं। ये दस्तावेज़ एकीकृत भूमि उपयोग और परिवहन नियोजन, वैज्ञानिक पार्किंग प्रबंधन, पार्किंग मानदंड और पारगमन-उन्मुख विकास पर व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

शहरी क्षेत्रों में पार्किंग सुविधाओं के लिए आईआरसी-दिशानिर्देश, 2015 में पार्किंग नीति के उद्देश्य और मार्गदर्शक सिद्धांत, पार्किंग कार्य-नीतियाँ, पार्किंग के प्रकार, पार्किंग मानदंड और

मानक, स्थान संबंधी आवश्यकताएँ और विभिन्न प्रकार के वाहनों जिनमें कार, बस, ट्रक, तिपहिया वाहन और साइकिल शामिल हैं, के लिए डिज़ाइन लेआउट का प्रावधान किया गया है।

एनयूटीपी 2006 में उन शहरी केंद्रों में बहुस्तरीय पार्किंग परिसरों को अनिवार्य बनाने का प्रावधान है जिनमें कई बहुमंजिला वाणिज्यिक परिसर हैं।

एमबीबीएल, 2016 के अध्याय 3-विकास संहिता, धारा 3.3 में पार्किंग मानकों का प्रावधान है और उपयुक्त विकास परियोजनाओं में स्टैक्ड/बहुस्तरीय/स्वचालित पार्किंग की भी अनुमति दी गई है।

शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 का अध्याय 8 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए नियोजन मानदंडों और मानकों का प्रावधान करता है, जिसमें पार्किंग संबंधी आवश्यकताएं, ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग सुविधाओं के लिए मानदंड और शहरी क्षेत्रों एवं वाणिज्यिक जिलों में बहुस्तरीय पार्किंग संरचनाओं का नियोजन शामिल है। इन दिशा-निर्देशों में पार्किंग नियोजन को भूमि उपयोग नियोजन और शहरी परिवहन प्रणालियों के साथ एकीकृत करने पर भी जोर दिया गया है।

स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था। 19 दिसंबर 2025 तक, चयनित 100 शहरों में कुल 8,064 परियोजनाओं को 1,64,811 करोड़ रुपये की लागत पर स्वीकृत किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 01.03.2026 तक, 42 शहरों में "मल्टी-लेवल पार्किंग" से संबंधित 2,481 करोड़ रुपये की कुल 74 परियोजनाएं शुरू की गई थीं, जिनमें से 2,140 करोड़ रुपये की 63 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और शेष 341 करोड़ रुपये की 11 परियोजनाएं कार्यान्वयन चरण में हैं। इस मिशन के तहत शुरू की गई परियोजनाओं का शहर-वार विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) को 25 जून 2015 को देश भर के चयनित 500 शहरों (15 विलयित शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में शुरू किया गया था। गैर-मोटरयुक्त शहरी परिवहन अमृत मिशन के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, जिसमें पैदल यात्री, गैर-मोटरचालित और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, साइकिल ट्रैक, पार्किंग स्थल आदि का प्रावधान शामिल है। इस क्षेत्र के अंतर्गत, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देकर या गैर-मोटर चालित परिवहन (जैसे पैदल चलना और साइकिल चलाना) को अपनाकर यातायात भीड़ को कम करने और प्रदूषण को घटाने का लक्ष्य है। 77,640 करोड़ रु. की कुल योजना राशि में से इस क्षेत्र के अंतर्गत 1,436 करोड़ रु. (2%) आवंटित किए गए हैं। 1,022.27 करोड़ रु. की 348 परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं, जिनमें से 986.06 करोड़ रु. का कार्य भौतिक रूप से पूर्ण किया जा चुका है। इनमें से 282.99 करोड़ रु. की 38 पार्किंग परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं, जिनमें से 256.57 करोड़ रु. का कार्य भौतिक रूप से पूर्ण किया जा चुका है। विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

वित्त मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना (एसएसएएससीआई) 2024-25-शहरी नियोजन सुधार के तहत, अब तक 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 18 सार्वजनिक पार्किंग परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया जा चुका है। विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

पिछले पांच वर्षों में निर्मित, निर्माणाधीन और प्रस्तावित बहुस्तरीय पार्किंग परियोजनाओं की संख्या से संबंधित शहर-वार आंकड़े आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। ऐसी परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/शहरी विकास प्राधिकरणों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर कार्यान्वित की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, मेट्रो रेल नीति, 2017 और राष्ट्रीय टीओडी नीति, 2017 में बहु-मोडल एकीकरण और गन्तव्य स्थान तक की कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है, जिसमें मेट्रो स्टेशनों, बस टर्मिनलों और प्रमुख गतिविधि केंद्रों के पास पार्क-एंड-राइड सुविधाओं और पार्किंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का नियोजन शामिल है। तदनुसार, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/मेट्रो रेल एजेंसियों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा व्यवहार्यता और भूमि उपलब्धता के अधीन मेट्रो रेल स्टेशनों, बस टर्मिनलों और वाणिज्यिक केंद्रों के साथ पार्किंग सुविधाओं का एकीकरण किया गया है।

"पार्किंग अवसंरचना की कमी" के संबंध में दिनाँक 12 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *292 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू की गई पार्किंग परियोजनाएँ

क्र.सं.	शहर का नाम	कुल परियोजनाएं		पूर्ण परियोजनाएं		चल रही परियोजनाएं	
		परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की लागत (करोड़ रु. में)	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की लागत (करोड़ रु. में)	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की लागत (करोड़ रु. में)
1	अहमदाबाद	3	222	3	222	-	-
2	अजमेर	1	14	1	14	-	-
3	अलीगढ़	1	50	1	50	-	-
4	अमृतसर	1	46	-	-	1	46
5	अटल नगर	2	86	2	86	-	-
6	बरेली	1	14	1	14	-	-
7	बेलगावी	1	7	-	-	1	7
8	बेंगलुरु	1	23	-	-	1	23
9	भोपाल	1	141	1	141	-	-
10	भुवनेश्वर	2	76	2	76	-	-
11	बिलासपुर	3	61	2	46	1	16
12	चंडीगढ़	1	38	1	38	-	-
13	कोयंबटूर	1	42	1	42	-	-
14	धर्मशाला	2	32	1	8	1	24
15	फरीदाबाद	1	17	1	17	-	-
16	गंगटोक	3	214	3	214	-	-
17	ग्वालियर	1	100	-	-	1	100
18	इंदौर	1	12	1	12	-	-
19	ईटानगर	1	18	1	18	-	-
20	जबलपुर	3	23	3	23	-	-
21	जयपुर	3	43	3	43	-	-
22	जम्मू	1	202	1	202	-	-
23	झांसी	1	25	1	25	-	-
24	कानपुर	2	103	2	103	-	-

25	कोहिमा	2	80	2	80	-	-
26	लखनऊ	1	17	1	17	-	-
27	मदुरै	1	42	1	42	-	-
28	नागपुर	1	25	-	-	1	25
29	न्यू टाउन कोलकाता	1	178	1	178	-	-
30	पिंपरी-चिंचवाड़	1	5	1	5	-	-
31	रायपुर	2	34	2	34	-	-
32	सलेम	4	44	4	44	-	-
33	शिलांग	2	37	-	-	2	37
34	शिमला	2	82	1	72	1	10
35	श्रीनगर	1	102	1	102	-	-
36	तिरुवनंतपुरम	4	72	4	72	-	-
37	तिरुचिरापल्ली	1	6	1	6	-	-
38	तिरुनेलवेली	6	61	6	61	-	-
39	तिरुपति	1	53	-	-	1	53
40	उदयपुर	4	16	4	16	-	-
41	वाराणसी	1	17	1	17	-	-
42	वेल्लोर	1	0	1	0	-	-
	कुलयोग	**74**	**2,481**	**63**	**2,140**	**11**	**341**

(01.03.2026 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार)

"पार्किंग अवसंरचना की कमी" के संबंध में दिनाँक 12 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *292 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

अमृत के तहत शुरू की गई पार्किंग परियोजनाएँ:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या
1	गुजरात	9
2	हिमाचल प्रदेश	5
3	जम्मू और कश्मीर	5
4	कर्नाटक	3
5	केरल	12
6	लद्दाख	2
7	मिज़ोरम	2
	कुल	38

"पार्किंग अवसंरचना की कमी" के संबंध में दिनाँक 12 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *292 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

एसएसएएससीआई के तहत शुरू की गई पार्किंग परियोजनाएँ:

अन्य राज्य		
#	राज्य	परियोजनाओं की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	2
2	असम	2
3	छत्तीसगढ़	2
4	केरल	2
5	महाराष्ट्र	3
6	तेलंगाना	1
कुल		12

पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य		
#	राज्य	परियोजनाओं की संख्या
1	मेघालय	2
2	उत्तराखंड	4
कुल		6